

न्यायालय तहसीलदार गडशरोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 24/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनान

श्री. शूकरराज पुत्र बालुराम

पटवारी हल्का बागासा

जाते मे. प्र. 1956 निवासी दि. गा. 1

तहसील गडशरोड़ जिला बाड़मेर

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडशरोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप. / 3/19 । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बागासा ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम दि. गा. 1 के खसरा नम्बर 2501 रकबा 99-05 बीघा में से 0-13 बीघा किस्म गैर कृ. गो. च. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेखल करने के आदेश प्रारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 रु. जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे 7500 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षण भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/9/19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडशरोड़
तहसीलदार गडशरोड़

जुमाना 50 फसल नि. 26
कुल योग 26/1956 जि. के पृष्ठ सं. 26
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार